



chdkusj uxj fuxe

ekckbzy Vkkbj@iksy] , UVhuk mi fof/k; k&2010

टॉवर/पोल एन्टीना नगर निगम क्षेत्र में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में व्याप्त जन सुरक्षा व सुविधा, भवनों की सुरक्षा, नेटवर्क की कनेक्टिविटी, शहर का हेरिटेज स्वरूप की रक्षा, अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से बचाव के कार्य एवं बेहतर नगरीय सेवा के लिए जनहित में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2009) की धारा 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर नगर निगम एतद् द्वारा निम्न उपविधि बनाती है—

1- uke o çHkko'khyrk %&

1. यह उपविधि बीकानेर नगर निगम (मोबाईल टॉवर/पोल, एन्टीना) उपविधि-2010 कहलायेगी।
2. यह उपविधि बीकानेर नगर निगम की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।
3. यह उपविधि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

2. I y; yj Qkkl , oa vU; I eLr çdkj ds çl kj.k ds fy, Hkouka dh Nrka o [kys çl kj.k Vkkbj@iksy , fUVuk yxk; s tkus grq vkonu %& (1) सेल्यूलर फोन्स एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रसारण के लिये भूमि अथवा भवन पर प्रसारण टॉवर/पोल एन्टीना लगाने बाबत सम्बन्धित मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बीकानेर नगर निगम को आवेदन करना होगा। टॉवर/पोल एन्टीना स्थापन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को चाहे किसी आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यास अथवा किसी भी बोर्ड/संस्था द्वारा विकसित किया गया हो तथा बीकानेर नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया हो, तब भी बीकानेर नगर निगम में आवेदन करना होगा।

1/2½ vkonu ds I kFk fu/kkFjr 'kQ'd I {ke vf/kdkjh }kjk tkjh किये गये व्यावसायिक लाईसेंस, भवन/प्लॉट मालिक के साथ किये गये पंजीकृत एग्रीमेण्ट, स्ट्रेक्चलर सेफ्टी, सर्टिफिकेट, टॉवर/पोल एन्टीना एवं अस्थायी निर्माण से सम्बन्धित अधिकृत डिजाईन ड्राईंग इत्यादि इस उपविधि अनुसार संलग्न करना आवश्यक होगा।

1/3½ vuf/k i = dh vof/k %& अनुज्ञा पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए ही जारी किया जा सकेगा। बीकानेर नगर निगम को अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

1/4½ I jdkjh , oa xj I jdkjh I LFkk dh vuqfr %& प्रस्तावित टॉवर/पोल एन्टीना के निर्माण सम्बन्धी किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था की अनुमति की आवश्यकता हो तो वह अनुज्ञाधारी अपने स्तर से प्राप्त करेगा।

1/5½ Vkbj@i ksy , Uvhuk yxkus grq LVDPj %& टॉवर/पोल एन्टीना से सम्बन्धित संपूर्ण स्ट्रक्चर अस्थाई होगा, लेकिन ढांचागत सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

1/6½ rfmr pkyu bR; kfn dk cko/kku %& अनुज्ञाधारी द्वारा अग्नि व आकाश से उत्पन्न बिजली की सुरक्षा हेतु तडित चालक का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।

1/7½ Hkou , oa ukxfj dka dh I j {kk %& अनुज्ञाधारी द्वारा भवन व आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना होगा। जिन भवनों पर मोबाईल टॉवर लगाने हो उनकी संरचना मजबूत एवं स्टील के कालम बेस तथा तकनीकी दृष्टि में भूकम्प रोधी एवं तेज गति से आने वाले तूफानों को सहन करने की क्षमता वाले हों।

1/8½ I j puk , oa fLFkjr k cek.k&i = %& भवन जिस पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाया जाना प्रस्तावित है, की संरचना एवं स्थिरता (Structural Design & Stability) बाबत निम्न में से किसी एक संस्था से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- A. M.N.I.T. Jaipur/BITS Pilani/Any Government Engg. College, Rajasthan.
- B. Rail India technical & Economic Service, Delhi (RITES)
- C. National Council for Building Material, Faridabad.
- D. Executive Engineer Concerned, public works Department, Rajasthan.
- E. Government Registered Chartered Engineers (Including those registered with ULBs)

1/9½ I phcdk ijkrRo , oa gsjVst Hkouka ij cfrcU/k %& सूचीबद्ध पुरातत्व एवं हैरिटेज से सम्बन्धित किसी भी भवन पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

10½ fçuk LohNfr fufelr Hkou ij Vkbj@iksy yxkuk tkuk çfrçak %&
स्थानीय निकाय इत्यादि से बिना स्वीकृति निर्माण किये गये भवन पर टॉवर/पोल एन्टीना लगाने की अनुमति अनुज्ञेय नहीं होगी।

11½ Hkou ij VDI @Qhl fudk; dh cdk; k gkus ij vuKk nş ugha gksxh %&
ऐसे भवन एवं प्लॉट में टॉवर/पोल एन्टीना लगाने हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकेगी जिसकी मालिकों द्वारा नगर निगम/ को देय किसी भी टैक्स/फीस इत्यादि अदा नहीं की गई हो।

12½ fudk; dks tkp dk vf/kdkj %& टॉवर/एन्टीना बीकानेर नगर निगम को समय समय पर टॉवर/पोल एन्टीना की जांच करने बाबत पूर्ण अधिकार होंगें।

13½ Vkbj@iksy , UVhuk yxkus grq I Md dh vi f{kr U; ure pkMkbZ %& खुले स्थानों/भूखण्डों /भवनों पर नये टॉवर/पोल एन्टीना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल की एप्रोच सड़क 30'-0" फीट से कम नहीं होनी चाहिए।

14½ Vkbj@iksy , UVhuk yxkus grq U; ure Hkn[k.M dh eki vi f{kr %& खुले स्थानों पर टॉवर स्थापित करने हेतु भूखण्ड का माप न्यूनतम 30'x30' होना आवश्यक है।

15½ Vkbj@iksy , UVhuk yxkus grq Hkn[k.M Lokeh ds I kfk fyf[kr vuçak vi f{kr %& टॉवर/पोल एन्टीना स्थापित किये जाने हेतु भवन अथवा भूखण्ड स्वामी एवं आवेदक के मध्य वैधिक रूप से पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित किया जाना होगा।

16½ Vkbj@iksy , UVhuk I ghkkxh vk/kkj ij yxkus dh vuçfr :- एक टॉवर/पोल एन्टीना पर शेयरिंग बेंसिस पर मूल अनुज्ञाधारी की सहमति से अतिरिक्त एन्टीना लगाने हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी यदि वह अन्य सभी दिशा-निर्देशों को पूरा करते हो।

17½ /ofu çnkk.k I seDr Mh-th- I V vko' ; d&çl kj.k Vkbj@iksy एन्टीना के संचालन के लिए ध्वनि प्रदूषण से मुक्त डी.जी. सेट लगाना नियमानुसार अनुज्ञेय होंगें। इस हेतु आवश्यकतानुसार अनुमति अलग से सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करनी होगी।

18½ gfjVst ?kks"kr fd; s tku ij Vkbj@iksy , UVhuk gVk; k tkuk – भवन/भूखण्ड को हेरिटेज घोषित किये जाने पर उस पर स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना तत्काल हटाये जायेंगे।

19½ Vkbj grq iath; u o ekfl d 'k/d :- प्रत्येक आवेदक को टॉवर लगाने हेतु 50,000 (अक्षरे पचास हजार रुपये) रजिस्ट्रेशन/स्वीकृति शुल्क के रूप में बीकानेर नगर निगम में जमा कराने होंगे।

यदि एक टॉवर को दो से अधिक सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा कराना होगा, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टीना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टॉवर हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/- रु. प्रति वर्ग फीट या 5,000/- रु. जो भी अधिक हो, भी अदा करने होंगे।

20½ iksy ,UVhuk grq iath; u ,oa ekfl d 'k/d % पोल एन्टीना हेतु प्रत्येक आवेदक को पोल एन्टीना लगाने हेतु 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) रजिस्ट्रेशन /स्वीकृति शुल्क के रूप में बीकानेर नगर निगम में जमा कराने होंगे।

यदि एक पोल एन्टीना को अन्य सेवा प्रदाता द्वारा शेयर किया जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त एन्टीना हेतु आवेदक द्वारा 10,000 (अक्षरे दस हजार रुपये) जमा कराने होंगे, लेकिन यदि उसी सेवा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त एन्टीना उसी टॉवर पर लगाया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। यह राशि वापस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोल एन्टीना हेतु मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में 10/- रु. प्रति वर्ग फीट या 2000/- रु. जो भी अधिक हो, भी अदा करने होंगे।

uk/ % पोल/एन्टीना से तात्पर्य ऐसे पोल से है, जो एक या एक से अधिक मुख्य टॉवर्स से उपभोक्ता के संपर्क सम्प्रेक्षण को अतिरिक्त प्रभावशाली बनाने हेतु स्थापित किये जाते हैं।

21½ i wZ ea LFkfi r Vkbjka dh vuKk ds I Ecu/k ea % वर्तमान में स्थापित टॉवरो के सम्बन्ध में पंजीकरण फीस 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) के साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अन्दर-अन्दर अनुज्ञा हेतु बीकानेर नगर निगम में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापि लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/- रु. प्रतिवर्ग फीट या 5,000 (अक्षरे पांच हजार रुपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलनीय होगा।

22½ i wZ ea LFkfi r iksy ,.Vhuk ds iath; u ,oa ekfl d 'k/d % वर्तमान में स्थापित पोल एन्टीनों के सम्बन्ध में पंजीकरण फीस 10,000/- (अक्षरे दस हजार रुपये) के

साथ इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अनुज्ञा हेतु सम्बन्धित बीकानेर नगर निगम में आवेदन करने होंगे। यह राशि वापिस लौटाये जाने योग्य नहीं होगी। साथ ही इस आदेश के जारी होने की दिनांक से मासिक अनुज्ञा शुल्क 10/- रु. प्रतिवर्ग फीट या 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये) जो भी अधिक हो, भी वसूलनीय होगी।

1/23½ Ekkfl d vuKk 'kq/d tek djkus dh vof/k %& तीन माह का मासिक अनुज्ञा शुल्क अग्रिम जमा करने होंगे साथ ही मासिक अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा कराने होंगे। टॉवर/पोल एन्टीना माह के किसी भी दिन में लगाने व हटाने पर उक्त माह का संपूर्ण शुल्क जमा कराना होगा। अनुज्ञा अवधि हेतु यह राशि एक मुश्त भी जमा करायी जा सकेगी।

1/24½ ekfl d 'kq/d ea NW %& अनुज्ञाधारी यदि मासिक शुल्क को एक साथ संपूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम जमा करवाना चाहता है तो 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। लेकिन ऐसी अग्रिम राशि माह अप्रैल की 10 तारीख तक जमा करानी होगी। वार्षिक अनुज्ञा फीस वित्तीय वर्ष के अनुसार माह अप्रैल से मार्च तक देय होगी।

1/25½ vuKk i = uohuhdj.k Qhl %& अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञया अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व अनुज्ञापत्र की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन मय अनुज्ञा पत्र आवेदन हेतु उक्त उपविधि के क्लॉज 19 व 20 में निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।

1/26½ foyEc I s Qhl %& विलम्ब से फीस/राशि अदा करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज बीकानेर नगर निगम द्वारा वसूल किया जायेगा तथा तीन माह तक की अनुज्ञा राशि की अदायगी नहीं होने पर जारी अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा टॉवर/पोल एन्टीना से सम्बन्धित मशीन एवं स्ट्रेक्चर को बीकानेर नगर निगम जब्त करेगी।

1/27½ ekfl d vuKk 'kq/d dk LFkkukUrj.k %& मासिक अनुज्ञा शुल्क बीकानेर नगर निगम में जमा कराना होगा। टॉवर/पोल एन्टीना का क्षेत्र अन्य नगर निकाय को स्थानान्तरित होने पर ऐसी बीकानेर नगर निगम को मासिक शुल्क देय होगा।

1/28½ jkt dh; foHkkxka I s 'kq/d ol nyuh; ugha gksxk %& पुलिस, सुरक्षा बल एवं सरकारी विभाग द्वारा स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना के सम्बन्ध में कोई शुल्क वसूलनीय नहीं होगा।

129½ Vkbj@iksy , .Vhuk dks gVkus ds vkn'sk ij blgs gVk; k tkuk vko'; d gksk %& बीकानेर नगर निगम/राज्य सरकार/टॉवर/पोल एन्टीना को हटाने हेतु आदेश दिये जाने पर कम्पनी को तुरन्त टॉवर/पोल एन्टीना हटाना होगा। यदि टॉवर/पोल एन्टीना नहीं हटाया जाता है तो बीकानेर नगर निगम द्वारा अपने स्तर से उक्त टॉवर/पोल एन्टीना को हटा कर जब्त कर लिया जायेगा। उक्त कार्यवाही पर होने वाले व्यय की राशि अनुज्ञाधारी/सम्बन्धित व्यक्ति से वसूलनीय होगी।

130½ Vkbj@iksy , .Vhuk dh tCrh %& बिना अनुमति/अनुज्ञा के लगाये टॉवर/पोल एन्टीना को बीकानेर नगर निगम जब्त कर सकेगी एवं उसको हटाने का व्यय सम्बन्धित से वसूलनीय होगा एवं अन्य कानूनी कार्यवाही उनके विरुद्ध की जायेगी।

131½ Vkbj@iksy , .Vhuk , oa Hkou bR; kfn l s upl ku ij gtkZ ds l Ecl/k ea & टॉवर/पोल एन्टीना एवं भवन इत्यादि से उत्पन्न नुकसान के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार के हर्जे, नुकसान इत्यादि के लिये स्वयं अनुज्ञाधारी/भवन मालिक जिम्मेदार होगा तथा राज्य सरकार अथवा बीकानेर नगर निगम की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। 132½ Vkbj@iksy , .Vhuk dk l o[k.k %& बीकानेर नगर निगम अपने क्षेत्र में स्थापित टॉवर/पोल एन्टीना का सर्वेक्षण इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अन्दर— अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बीकानेर नगर निगम द्वारा एक रिकार्ड रजिस्टर संधारित किया जायेगा।

133½ टॉवर/पोल एन्टीना जिस भवन/भू-खण्ड में स्थापित होगा, उसकी प्रकृति (Nature) यदि आवासीय है तो आवासीय ही रहेगी। और व्यवसायिक है तो व्यवसायिक ही रहेगी।